


**-:: कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.) ::-**  
**// आदेश //**

क्रमांक 43/एक-6-21/11

उज्जैन, दिनांक 12 अप्रैल, 2024

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग म0प्र0 भोपाल की अधिसूचना क्रं. एफ 3-03/2019/1/4 दिनांक 26.03.2024 के द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 चार चरणों में होना है। कार्यक्रम की प्रति संलग्न की गई है। कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 13.05.2024 को उज्जैन जिले में मतदान होना है। मतदान के दिन सार्वजनिक तथा सामान्य अवकाश घोषित किया गया है।


अतः माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक 4717 दिनांक 15.11.2010 एवं परिपत्र क्रमांक डी/488 दिनांक 22.01.2015 के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में सम्पूर्ण जिला उज्जैन में (परिवार न्यायालय सहित) मतदान दिवस दिनांक **13.05.2024 (सोमवार)** को सामान्य अवकाश घोषित करता हूँ।

  
(दीपेश कुमार तिवारी)  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
उज्जैन (म.प्र.)

पृ.क्रं. 3616/एक-6-21/11

उज्जैन, दिनांक 12 APR 2024  
अप्रैल, 2024

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर
2. प्रधान न्यायाधीश/अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय उज्जैन
3. समस्त न्यायालय जिला उज्जैन
4. प्रभारी अधिकारी, लेखा/नजारत/अभिलेखागार/मालखाना/ग्रंथालय/प्रतिलिपि/कम्प्युटर/तलवाना/फाईलिंग अनुविभाग
5. कोर्ट मैनेजर जिला न्यायालय उज्जैन की ओर सूचनार्थ, पालनार्थ।
6. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, जिला न्यायालय उज्जैन की ओर सर्वसंबंधित की ओर ई-मेल से भेजे जाने हेतु प्रेषित।
7. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ उज्जैन/खाचरौद/नागदा/बड़नगर/तराना/महिदपुर की ओर सूचनार्थ।

  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
उज्जैन (म.प्र.)